(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 815–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 621/अपील/2012–13 ।

....

मिट्ठूलाल पिता हीरालाल

निवासी तिलगारा तहसील बदनावर

जिला धार

.... आवेदक

विरूद्ध

1–दुलीचन्द पिता हीरालाल

निवासी तिलगारा तहसील बदनावर

जिला धार

हाल मुकाम लसुड़ावन तहसील जिला मंदसौर

2–गिरधारीलाल पिता हीरालाल

निवासी तिलगारा तहसील बदनावर

जिला धार

.... अनावेदकगण

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक

श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदकगण आपस में सगे भाई होकर उनके द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम करणपुरा तहसील बदनावर स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 298 रकबा 1.138 हेक्टेयर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा शंकर पिता रामा कुलम्बी से कय की जाकर उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में उभयपक्ष का नाम संयुक्त रूप से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया। आवेदक व अनावेदक कमांक 2 द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख से अनावेदक कमांक 1 का नाम नामान्तरण पंजी कमांक 64 में पारित आदेश दिनांक 19—6—1989 से कम करवा दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19—6—1989 की जानकारी होने के उपरांत अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29—4—2013 को अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—4—13 से परिवेदित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2—3—16 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील बदनावर को निर्देशित किया गया कि ग्राम करणपुरा तहसील बदनावर स्थि कृषि भूमि सर्वे कमांक 298 रकबा 1.138 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेख में उभयपक्षों का संयुक्त नाम अंकित किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 109—110 पर विचार नहीं कर अपील स्वीकार करने में भूल की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 एक ही परिवार के सदस्य होकर अनावेदक द्वारा आवेदक के

हक में एक लेख दिनांक 9—4—88 को आवेदक के पक्ष में लिखकर अपना स्वत्व का हिस्सा आवेदक के हित में त्याग दिया है, इस तथ्य पर अपर आयुक्त द्वारा विचार नहीं कर अपील स्वीकार करने में वैधानिक भूल की गई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नही किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कय की गई कृषि भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल आवेदक द्वारा अदा किया गया तथा उसका इंद्राज रजिस्ट्री में लिखा गया है ।

(4) संहिता के प्रावधान है कि कोई भी भूमिस्वामी अपने परिवार का नामान्तरण अपनी सहमति से करवा सकता है इसलिये अनावेदक कमांक 1 द्वारा लिखित सहमति आवेदक के पक्ष में दी गई थी जिससे अनावेदक कमांक 1 का नाम कम होकर आवेदक का नामान्तरण हो गया है । नामान्तरण पंजी पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये गये हैं । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना हितधारी को विधिवत् सूचना दिये पारित नामान्तरण व बटवारा आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है ।

(2) अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बैधानिक तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजी में जो प्रविष्टि प्रमाणित की है उसमें अनावेदक कमांक 1 की सहमति का उल्लेख किया है । उक्त सहमति बावत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही अनावेदक कमांक 1 के कथन कराये गये तथा साक्ष्य भी नहीं ली गई, जबकि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है ।

(3) अधीनस्थ तहसील एवं प्रथम अपीलीय न्यायालयों द्वारा बिना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों पर कोई विचार किये आवेदक व

अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड लिखा पढ़ी लेख दिनांक 31—3—85 के आधार पर आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, जबकि उक्त दस्तावेज फर्जी, कूटरचित होने व अनरजिस्टर्ड होने से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार साक्ष्य हेतु ग्राह्य योग्य ही नहीं है, जिस पर द्वितीय अपीलीय अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाकर उक्त अधीनस्थ न्यायालयों के अवैधानिक आदेशों को निरस्त करने में विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 2002 आरएन 306, 2007 आरएन 28, 1991 आरएन 250, 2005 आरएन 355, 1997 आरएन 377, 2004 आरएन 6 एवं 2007 आरएन 185 के न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त की गई है, जबकि इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्टतः मान्य किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 64 पर दिनांक 19—6—1989 को आदेश पारित करने में आवेदकगण सहित हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः नोटिस की तामीली नहीं कराई गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यदि अपर आयुक्त के मत में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील निरस्त करने में अवैधानिकता की गई थी, तब या तो उन्हें स्वयं प्रकरण में गुणदोष पर विचार करके आदेश पारित करना था या प्रकरण गुणदोष पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था। अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये

उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर अपील का गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर